1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P.No. 1515/2026, dt. 06.06.2026, Kishor Rai & one other vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या—1515/2026

उपस्थित :— अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. किशोर राय वल्द परमा राय उम्र करीब 38 वर्ष
2. छोटेलाल राय वल्द परमा राय उम्र करीब 24 वर्ष
ग्राम— बथना, वार्ड नं0—3, थाना—मेहसी, जिला—पूर्वी चम्पारण..............................आवेदकगण ।
बनाम
बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से — श्री शैलेन्द्र कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से — श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

06.06.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण किशोर राय एवं छोटेलाल राय की ओर से मेहसी थाना कांड संख्या—160/2026, धारा—115(2), 126(2), 76, 109, 303(2), 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 06.05.2026 से कारा में है।

अभियोजन के अनुसार सूचिका रीना देवी को किशोर राय नशे की हालत में उसके साथ गाली—गलौज करने लगा तथा मना करने पर लात—मुक्का से मारने लगा तभी गीता देवी, लक्षमीन देवी, छोटेलाल राय, राकेश, राजू कुमार लाठी, डंडा एवं फरसा लेकर आए राजू कुमार बाल पकड़ कर पटक दिया बाकी लोग लात—मुक्का एवं लाठी—डंडा से मारने लगा राकेश कुमार कहा कि इसको जान से मार दो तभी छोटेलाल राय अपने हाथ में रखे फरसा से गर्दन पर मारा जो बचने के क्रम में सर पर लग गया, उसे बचाने उसकी सास जहरी देवी आई तो सभी लोग मारपीट कर जख्मी कर दिया तथा मारपीट के क्रम में उसके गर्दन से सोने का सिकड़ी एवं मंगलसूत्र पैसठ हजार रूपया का राजू कुमार निकाल लिया तथा बिछाबन के नीचे से पचपन हजार रूपया किशोर राय निकाल लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका—2 में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका—3 में कहा गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध मेहसी थाना कांड संख्या—63/2021 दर्ज है, जिसे वे जमानत पर है तथा कंडिका—4 में कहा गया है कि आवेदकगण दिनांक 06.05.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि घटनास्थल पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुआ था। यह मामला मेहसी थाना कांड संख्या–161/2026 का पलटा मामला है। जख्मी के शरीर के मार्मिक भाग पर कोई जख्म कारित नहीं हुआ है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका– 46 में जख्मी रीना देवी एवं जहरी देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी रीना देवी के सर पर 1"x1/4" का खरोच पाया गया है एवं जख्मी जहरी देवी के पूरे शरीर में दर्द एवं सूजन होना पाया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–26 के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध मेहसी थाना कांड संख्या– 63/2021 दर्ज होना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका– 59 एवं 60 के साक्षियों द्वारा अपने बयान में सोने का सिकड़ी एवं मंगलसूत्र तथा रूपया निकालने की बात नहीं कहा गया है। उभय पक्षों के बीच मेहसी थाना कांड संख्या– 161/2026 का पलटा मामला चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, जख्म की प्रकृति एवं आवेदकगण के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण किशोर राय एवं छोटेलाल राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 06.06.2026